केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं. 343/टीएल/2024 **दिनांक: 28.11.2024**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

भड़ला–III एवं बीकानेर–III ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली– 110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "भड़ला–III एवं बीकानेर–III कॉम्पलेक्स के अंतरसंयोजनों के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण" के लिए अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	भड़ला–III सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित भड़ला–III / बीकानेर–III 765 केवी डी/सी लाइन • भड़ला–III पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 2 नंबर • भड़ला–III पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण – 2 नंबर	24
2.	भड़ला–III एवं बीकानेर–III सिरे पर संबद्ध 765 केवी लाइन बे • भड़ला–III पीएस पर 765 केवी लाइन बे – 2 नंबर • बीकानेर–III पीएस पर 765 केवी लाइन बे – 2 नंबर	

नोट:

i. भड़ला–III पीएस का विकासकर्ता स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के दो नंबरों के लिए स्थान सहित 765 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।

ii. बीकानेर–III पीएस का विकासकर्ता 765 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।

iii. स्विचेबल लाइन रिएक्टर एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।"

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 12.9.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 343/टीएल/2024 में दिनांक 28.11.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. **भड़ला–III एवं बीकानेर–III ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **13.12.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **16.12.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पृथी)
सचिव